न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.)

अन्तिम डिक्री

वाद संख्या 114/18	धारा अंतर्गत 88, 89, 53, 188 RTA		निर्णय दिनांक 26.4.22
समक्ष - श्री दिव्यांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बारां			
उपस्थिति - अभिभाषक वादी श्री ओम मेहता एड.		अभिभाषक प्रतिवादी श्री हेमराज बैरवा	

वाद शीर्षक

1. प्रमोद कुमार पुत्र हरकलाल जाति महाजन निवासी दीनदयाल पार्क बारां
2. अशोक कुमार पुत्र नाथूलाल जाति महाजन निवासी दीनदयाल पार्क बारां

बनाम

1. ब्रजमोहन पुत्र छगन जाति माली निवासी कलमण्डा तह. बारां
2. कैलाशबाई पत्नी देवीलाल जाति माली नि. कलमण्डा तह. बारां
3. राजू पुत्र छगन जाति माली निवासी कलमण्डा तह. बारां
4. बबलू पुत्र छगन जाति माली निवासी कलमण्डा तह. बारां
5. मोहनी देवी पत्नी जगदीशचन्द जाति जाटव निवासी कलमण्डा तह. बारां
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

विवादित आराजी वाके ग्राम कलमण्डा का पक्षकारान के मध्य पृथक-पृथक विभाजन निम्नानुसार किया जाता है:-

नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा	लगान
1. अशोक कुमार पुत्र नाथूलाल, प्रमोद कुमार पुत्र हरकलाल जाति महाजन नि. ना.उ.	427	0.23	2.76
2. कैलाशबाई पत्नी देवीलाल माली, ब्रजमोहन पुत्र छगन माली, बबलू पुत्र छगन माली, राजू पुत्र छगन माली, मोहनी देवी पत्नी जगदीशचन्द जाति जाटव नि. कलमण्डा	240	0.40	4.80
	359	0.20	2.40
	461	0.10	1.20
	462	0.04	0.48
	466	0.05	0.60
कुल किता	5	0.79	9.48

उपरोक्तानुसार विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य पृथक-पृथक विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 26.4.22 को निर्गत किया गया।

हस्ताक्षर

उपखण्ड अधिकारी, बारां

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी बारां)

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2	अभिभाषक पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		
7	फीस कमिश्नर		
8	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9	ब्याज (%)		
	योग		

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:18:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

निर्णय न्यायालय श्री दिव्यांशु शर्मा आर. ए. एस
उप खण्ड अधिकारी बारां जिला बारां राज. अध्यक्षित

प्रकरण सं. 114/18 टाका
दायरा दिनांक :- 16.7.18
निर्णय दिनांक :- 26.11.21

उनवान

1- प्रमोद कुमार पुत्र हरलालाल जाति महाजन निवासी दीनदयाल पार्क बारां
2. अशोक कुमार पुत्र नाथूलाल जाति महाजन नि. दीनदयाल पार्क बारां

बनाम

1- हनुमान पुत्र जगन्नाथ जाति माली निवासी कलमण्डा
2. कैलाशबाई पत्नी देवीलाल जाति माली निवासी कलमण्डा
3- राजू पुत्र जगू जाति माली निवासी कलमण्डा
4. बबलू पुत्र जगू जाति माली निवासी कलमण्डा
5- मोहनीदेवी पत्नी जगदीश चन्द जाति नायक निवासी कलमण्डा
6- राज. सरकार जरिये तहसीलदार बारां

वाद पत्र धारा 88, 89, 53, 188 RTA

निर्णय दिनांक :- 26.11.21

उपस्थित अभिभाषक :- 1 श्री ओमप्रकाश मेहता II - वादी
2. श्री हेमराज बैरवा - प्रतिवादी-1
3. श्री ब्रजकिशोर शर्मा - प्रतिवादी-2

अभिभाषक वादीगण द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 188 RTA विरुद्ध प्रतिवादीगण के नामान से इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम कलमण्डा [illegible] ख. नं. 240 रकबा 0.40 हे. ख. नं. 359 रकबा 0.20 हे. ख. नं. [illegible] रकबा 0.23 हे. ख. नं. 461 रकबा 0.10 हे. ख. नं. 452 रकबा [illegible] रकबा 0.05 हे. कुल किता 6 रकबा 1.02 हे स्थित है। जो राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी व वादीगण की संयुक्त खातेदारी में अंकित है विवादित आराजी संयुक्त खातेदारी की सम्पत्ति है

लगातार-2

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:18:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

जिसका बाहरी निगरानी हो चुका है तथा वादी गण एवं प्रति वादीगण
आपने-अपने हिस्से की आराजी पर मौके पर काबिज काश्त है -
विवादित आराजीयात में प्रति वादी गण क्र. 1 का 1/6 हिस्सा, प्रति वादी क्र.
2 का 1/3 हिस्सा, प्रति वादी क्र. 3 व 4 का 1/9 हिस्सा, प्रति वादीगण क्र.
5 का 1/6 हिस्सा तथा वादी क्र. 1, 2 का 1/9, 1/9 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में
अंकित है। वादी गण का विवादित आराजीयात में 2/9 हिस्सा निहित है तथा
वर्तमान में वादी गण विवादित आराजी में बाहरी बंटवारा अनुसार ख.नं.
427 रकबा 0.23 हे. पर मौके पर काबिज काश्त है तथा प्रति वर्ष उक्त
आराजी में फसल बोते व काटते चले आ रहे है अतः वादी गण सम्पूर्ण
विवादित आराजी में जो अपना 2/9 हिस्सा है की घोषणा करा कर पृथक
से अपनी खातेदारी में दर्ज कराने के अधिकारी है। प्रति वादी गण एवं
वादी गण के बीच आये दिन काश्त को लेकर एवं कटाई इत्यादि
को लेकर आये दिन झगड़े होते रहते है तथा संयुक्त खाता होने
से वादीगण अपने हिस्से की आराजी पर बैंक से ऋण भी प्राप्त कर
विकास कार्य व काश्त व्यवस्था नहीं कर पाते है इस कारण वादी गण
अपना 1/9, 1/9 अर्थात 2/9 हिस्सा (ख.नं. 427 रकबा 0.23 हे.) को पृथक करा कर
पृथक से राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।
दिनांक 10-6-2018 को वादी गण विवादित आराजी में जो अपने हिस्से
की आराजी ख.नं. 427 रकबा 0.23 हे. पर खराद करने के लिए ट्रैक्टर
लेकर खेत पर गया तो प्रति वादी गण मौके पर आ गये तथा ट्रैक्टर
के आडे लेट गये तथा वादीगण को खेत हांकने से मना किया। वादी
ने बामुश्किल प्रति वादी गण को समझा बुझा कर वहां से रवाना किये जाते
जाते प्रति वादी गण, वादी गण को धमकी देकर गया है कि विवादित
आराजी जो तुम्हारा हिस्सा है को जबरन काश्त करते रहेंगे। जिसका
प्रति वादी गण को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह वादी गण के
हिस्से की आराजी ख.नं. 427 रकबा 0.23 हे. पर जबरन कब्जा करें व वादीगण
के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत करें अतः वादीगण प्रति०
के विरुद्ध अविलम्ब स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवा पाने का अधिकारी है।
वाद कारण दिनांक 10.6.2018 को प्रति वादी गण द्वारा वादी गण को उनके
हिस्से की विवादित आराजी से बेदखल कर जबरन कब्जा करने की धमकी
देने पर व मुकाम नलखाड़ा तह० बारां में पैदा हुआ। वादी गण अतः वाद
पत्र स्वीकार करने का [illegible]
वादी गण का [illegible] रहते कर प्रति वादी गण
को जरिये समन तलब [illegible] की ओर से जवाबदावा
गण कायम करने एवं प्रति वादी क्र. 2 की ओर से जवाब दावा पेश

लगातार -3

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:18:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

पेश हुआ। वादी द्वारा काउन्टर क्लेम का जवाबुल जवाब पेश किया। वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में जमाबन्दी ग्राम कलमण्डा सम्वत 2071-74 खाता नं. 367 पेश की गयी तथा गवाह वादी में PW1 अशोक कुमार के बयान कराये गये तथा प्रतिवादी की ओर से DW1 इकबाल के बयान कराये गये।

वादीगण के वाद पत्र एवं प्रतिवादी के काउन्टर क्लेम के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गयी।-

तनकी नं.1 आया कि ग्राम कलमण्डा की आराजी ख.नं. 240 रकबा 0.40 हे. ख.नं. 259 रकबा 0.20 हे. ख.नं. 427 रकबा 0.27 हे. ख.नं. 461 रकबा 0.10 हे. ख.नं. 452 रकबा 0.04 हे. एवं ख.नं. 466 रकबा 0.05 हे. कुल 6 किता रकबा 1.02 हे. मे वादीगण अपना 2/9 हिस्से के रूप मे बाहमी बटवारे अनुसार ख.नं. 427 रकबा 0.23 हे किता पर वे काबिज काश्त है का बटवारा करा कर पृथक से राजस्व रिकार्ड मे अमल कराने के अधिकारी है। - वादी

तनकी नं.2 आया वादीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। वादीगण

तनकी नं.3 आया प्रतिवादी क्र.1 अपने 1/6 हिस्से को तमाम खसरा नम्बर मे से अच्छी मे से अच्छी एवं बुरी मे से बुरी को अपने खाते दर्ज कराने का अधिकारी है। प्रतिवादी-1

तनकी नं.4 आया कि प्रतिवादी क्र.2 अपने 1/3 हिस्से को अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे से बुरी भूमि का बटवारा करा कर अपना नाम राजस्व रिकार्ड मे अंकन कराने की अधिकारी है। प्रतिवादी-2

तनकी नं.5 अनुतोष

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गयी बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र के अंकित तथ्यों को दोहराया गया वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कलमण्डा मे स्थित है। जिसमें वादीगण का 2/9 हिस्सा निहित है वादीगण अपने हिस्से की भूमि का विभाजन कराना चाहता है। वादीगण का बाहमी बटवारे के आधार पर ख.नं. 427 रकबा 0.23 हे. पर कब्जा काश्त चला आ रहा है उक्त ख. नम्बर का वादी को इसे वादीगण को 1/9 1/9 हिस्से अनुसार [illegible] अलग-अलग खातेदारी मे दर्ज कर हुए पृथक-पृथक विभाजन [illegible] लगान कायम किया जावे। [illegible] प्रतिवादी का कथन है की बहस के दौरान [illegible] अच्छी मे से अच्छी एवं बुरी मे से प्रतिवादी क्र.1 का 1/6 हिस्सा दर्ज [illegible] प्रतिवादी क्र.1 का नाम अलग खाता कायम से बुरी का विभाजन कर प्रतिवादी क्र.1

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:18:28 IST
Reason: SelfAttested

लगातार-4

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

किया जावे। तथा प्रार्थी वादी क्र.2 का खातेदारी आराजी में 1/3 हिस्सा दर्ज है प्रार्थी वादी क्र.2 अपने हिस्से की भूमि का अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी भूमि का विभाजन किया जाकर कब्जा के साथ दर्ज कर लगान कायम किया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गयी पत्रावली व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी गण का वाद का तनकी वार निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है:-

<u>तनकी नं.1</u> इस तनकी को साबित करने का भार वादी गण को था। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम [illegible] संवत 2071-74 खाता नं. 367 के अनुसार विवादित आराजी वादी गण एवं प्रार्थी वादी गण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। जिसमें वादी गण का 1/9-1/9 हिस्सा दर्ज है वादी गण द्वारा खसरा नं. 427 रकबा 0.23 हे. ही अपने हिस्से में दर्ज करवाना एवं उसी भूमि पर कब्जा काश्त चला आना बताया है परन्तु वादी गण द्वारा कब्जे बाबत कोई रिकार्ड व दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि वादी गण का ख.नं. 427 की भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अतः यह तनकी वादी गण के पक्ष में आंशिक स्वीकार की जाती है।

<u>तनकी नं.2</u> इस तनकी को साबित करने का भार वादी गण को था। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी के अनुसार वादी गण का 1/9-1/9 हिस्सा दर्ज है जिसे वह पृथक-पृथक विभाजन करा कर अलग खाता दर्ज करवाना चाहता है तथा वादी प्रार्थी वादी गण को अपने स्वामी खातेदारी से पाबन्द करने का अधिकारी है जिससे प्रार्थी वादी गण वादी गण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं कर सके। अतः यह तनकी वादी गण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

<u>तनकी नं.3</u> इस तनकी को साबित करने का भार प्रार्थी वादी क्र.1 को था। प्रार्थी वादी क्र.1 द्वारा ~~[illegible]~~ जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर अपने हिस्सा 1/6 अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी का करवाना चाहता है तथा अलग खाता दर्ज करा कर लगान निर्धारण करवाना चाहता है प्रार्थी वादी क्र.1 अपने हिस्से की भूमि का विभाजन कराने के लिए स्वतन्त्र है अतः यह तनकी प्रार्थी वादी क्र.1 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

<u>तनकी नं.4</u> इस तनकी को साबित करने का भार प्रार्थी वादी क्र.2 को था। प्रार्थी वादी क्र.2 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर अपने हिस्से की भूमि 1/3 का पृथक-पृथक विभाजन करवाकर राजस्व रिकार्ड में अलग इन्द्राज 1/3 का पृथक-पृथक विभाजन करवाना चाहता है जिससे भविष्य में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो सके। बिना बटवारे के [illegible] लगान जमा करते रहते है [illegible] भूमि का विभाजन इसलिए प्रार्थी वादी [illegible] प्रार्थी वादी क्र.2 के पक्ष में निर्णित करवाना चाहते है अतः यह तनकी [illegible] की जाती है।

लगातार - 5

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:18:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अतएव :- उपरोक्त तथ्यों के विवेचन यह साबित होता है कि वादी गण एवं प्रार्थी वादी गण अपने-अपने हिस्से की भूमि का विभाजन कराना चाहते हैं परन्तु वादी गण खाता ख.नं. 427 की भूमि अपने हिस्से के लेना चाहते हैं परन्तु वादी द्वारा कब्जे बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य व रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया जिससे वादी गण का ख.नं. 427 पर कब्जा साबित हो ऐसे में वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी गण का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है कि विवादित आराजी ग्राम कल्याणपुरा तह० बारां के ख.नं. 240 रकबा 0.40 हे० ख.नं. 359 रकबा 0.20 हे० ख.नं. 427 रकबा 0.23 हे० ख.नं. 461 रकबा 0.10 हे०, ख.नं. 462 रकबा 0.04 हे०, ख.नं. 466 रकबा 0.05 हे० कुल किता 6 रकबा 1.02 हे० भूमि का वादी गण एवं प्रार्थी वादी गण 1 ता 5 के मध्य हिस्से एवं कब्जे अनुसार पृथक-पृथक विभाजन किया विभाजन प्रस्ताव बनाने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है तदनुसार प्रारम्भिक डिक्री पारित जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(दिव्यांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:18:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

उपखण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.)

प्राथमिक डिक्री

संख्या 114/18	धारा अंतर्गत 88, 89, 53, 188 RTA	निर्णय दिनांक
समक्ष - श्री डिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बारां		
उपस्थिति - अभिभाषक वादी श्री ओमप्रकाश मेहता II	अभिभाषक प्रतिवादी श्री हेमराज बैरवा 1, श्री [illegible] शर्मा 2	

वाद शीर्षक

1. प्रमोद कुमार पुत्र स्वरूपलाल जाति महाजन नि० हीरादास पार्क बारां
2. अशोक कुमार पुत्र नाथूलाल जाति महाजन नि० हीरादास पार्क बारां

बनाम

1. हरमोहन पुत्र भूरुलाल जाति माली निवासी कलमण्डा
2. कैलाशबाई पत्नी देवीलाल जाति माली नि० कलमण्डा
3. राजू पुत्र भूरु जाति माली नि० कलमण्डा
4. बबलू पुत्र भूरु जाति माली नि० कलमण्डा
5. मोहनीदेवी पत्नी जगदीशचन्द जाति जाटव नि० कलमण्डा
6. राज० सरकार जरिये तहसीलदार बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी गण का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है विवादित
आराजी वाके ग्राम कलमण्डा तह० बारां के ख०नं० 540 रकबा 0.40 हे०
ख०नं० 359 रकबा 0.20 हे० ख०नं० 427 रकबा 0.23 हे०, ख०नं० 461 रकबा
0.10 हे० ख०नं० 462 रकबा 0.04 हे०, ख०नं० 466 रकबा 0.05 हे० कुल 6 किता
रकबा 1.02 हे० भूमि का वादी गण एवं प्रति वादी क्र० 1 ता 5 के मध्य
हिस्से एवं कब्जे अनुसार पृथक-पृथक विभाजन किया जाकर विभाजन
प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है

.... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।

साथ ही नियमानुसार .... को निर्गत किया गया।

उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक ....

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:18:28 IST
Reason: SelfAttested

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी, बारां

उपखण्ड अधिकारी बारां

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2	अभिभाषक पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
	[illegible] (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		

Scanned with CamScanner